सं. 11013/9/2014-स्था.(ए-III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः आधार-समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली की शुरुआत करना।

यह निर्णय लिया गया है कि भारत स्थित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित भारत सरकार के सभी कार्यालयों में आधार-समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) का प्रयोग किया जाए। इस प्रणाली को दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 2014 तक संस्थापित किया जाएगा। अन्य स्थानों में इसे 26 जनवरी, 2015 तक संस्थापित कर दिया जाएगा।

2. उपस्कर की खरीद मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राधिकृत विक्रेताओं से डी.जी.एस. एंड डी. संविदा दर पर इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विनिर्देशनों के अनुसार की जाएगी। यह व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अन्य व्यय (ओ.ई.) से पूरा किया जाएगा। उपस्थिति की दस्ती (मैनुअल) प्रणाली को तदनुसार हटाया जाए।

3. इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इस प्रणाली को संस्थापित करने में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीदे जा चुके उपस्कर में तीन वर्ष के लिए अनुरक्षण रख-रखाव/संविदा (एएमसी) शामिल है। मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा खरीदे जा रहे उपस्कर में इसी प्रकार के प्रावधान हों।

4. बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली केवल समर्थकारी व्यवस्था है। कार्यालय समय, विलम्ब उपस्थिति इत्यादि से संबंधित अनुदेशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो आगे भी लागू रहेंगे। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.7.1975 के का.ज्ञा. सं. 28034/8/75-स्था.(क), दिनांक 27.08.1975 के का.ज्ञा. संख्या 28034/10/75-स्था.(क), दिनांक 5.3.1982 के का.ज्ञा. संख्या 28034/3/82-स्था.(क) में समाहित) प्रत्येक दिन देर से कार्यालय आने के लिए आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाए, परन्तु एक घंटे तक देर से आने को, वह भी एक माह में दो अवसरों से अधिक नहीं होने तथा न्यायोचित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश (अथवा अर्जित अवकाश, जब आकस्मिक अवकाश उपलब्ध न हो) काटने के अतिरिक्त, आदतन विलंब से आने वाले सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने पर भी विलंब से आने के समान ही उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी।

जे.अ.दे

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

जे. अ. वैद्यनाथन

(जे.ए. वैद्यनाथन)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाषः 23093179

सेवा मेः

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी।
10. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।